डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

मु0 उ0 रजनीकांत बनाम राधाकिशन वगै0

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 142/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल् कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददइ व .... मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादीगण का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——————— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख......03/07/25...... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत——— 3/7/25

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

मुददई	रूप्या	पैसा	मुददालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. रजनीकान्त पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. कृष्णगोपाल पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. रामनिवास पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. निरंजनलाल पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र रोडू जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. ध्रुवसिंह पुत्र रोडू जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. वत्तो पुत्र टीका (मृतक) जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   - 3/1. यादराम पुत्र वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   - 3/2. हाकिम पुत्र वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   - 3/3. करन पुत्र वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   - 3/4. शीला पत्नी वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रामबाबू पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. लल्लू उर्फ उदयसिंह पुत्र विजेन्द्र नाबालिग बली माता खुद रामवती बेवा विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. रामवती बेवा विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. दिनेश पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. राकेश पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. राज0 सरकार तहसीलदार नदबई।
10. सब रजिस्ट्रार नदबई।
11. एसबीबीजे शाखानदबई जरिए प्रबंधक।
12. एसबीआई शाखा नदबई जरिए प्रबंधक। —असल प्रतिवादीगण
13. रामस्वरूप पुत्र उमराव जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई हाल कुम्हेर रोड नदबई जिला भरतपुर।
14. चन्द्रकान्त पुत्र उमराव जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई हाल कुम्हेर रोड नदबई जिला भरतपुर।
15. पुरूषोत्तम पुत्र गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई हाल कस्बा नदबई जिला भरतपुर।
16. भगवान पुत्र गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई हाल कस्बा नदबई जिला भरतपुर।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 142/2012
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2012/00046
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 03.07.2025

1. रजनीकान्त पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. कृष्णगोपाल पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. रामनिवास पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. निरंजनलाल पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र सेढू जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. ध्रुवसिंह पुत्र सेढू जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. वत्तो पुत्र टीका (मृतक) जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/1. यादराम पुत्र वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/2. हाकिम पुत्र वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/3. करन पुत्र वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/4. शीला पत्नी वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रामबाबू पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. लल्लू उर्फ उदयसिंह पुत्र विजेन्द्र नाबालिग वली माता खुद रामवती बेवा विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25

Scanned with OKEN Scanner

6. रामवती बेवा विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. दिनेश पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. राकेश पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. राज0 सरकार तहसीलदार नदबई।
10. सब रजिस्ट्रार नदबई।
11. एसबीबीजे शाखानदबई जरिए प्रबंधक।
12. एसबीआई शाखा नदबई जरिए प्रबंधक। —असल प्रतिवादीगण
13. रामस्वरूप पुत्र उमराव जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई हाल कुम्हेर रोड नदबई जिला भरतपुर।
14. चन्द्रकान्त पुत्र उमराव जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई हाल कुम्हेर रोड नदबई जिला भरतपुर।
15. पुरूषोत्तम पुत्र गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई हाल कस्बा नदबई जिला भरतपुर।
16. भगवान पुत्र गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई हाल कस्बा नदबई जिला भरतपुर।

तर0 प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री फूलसिंह एड.(वादीगण की ओर से)

श्री अशोक कुमार एड.(प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय
दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

6. यह कि वादी व प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी संख्या 5 नाबालिग व मंदबुद्धि है। जो अपनी माता की बली सरपरस्ती में रहता है। अन्य सभी पक्षकार वादपत्र वाद लडने योग्य हैं।
7. यह कि खाता संख्या 255 के हाल आराजी खसरा नंबर 28 रकबा 0.53 व 29 रकबा 0.43 किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्ट० तथा खाता संख्या 256 के हाल आराजी खसरा नंबर 31 रकबा 0.70, 32 रकबा 0.50 किता 2 कुल रकबा 1.20 हैक्ट0 हिस्सा 137/150 जो कि संवत 2028 के भूप्रबंध विभाग द्वारा खसरा नंबर 20 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व 21 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व 22 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा द्वारा निर्मित किए गए हैं। जिसे संवत 2028 से पूर्व के साबिक खसरा नंबर 16, 17, 18 थे। उक्त आराजी वाके ग्राम मांझी तहसील नदबई स्थित है। जिसके हाल इन्द्राजात चलत [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

8. यह है कि संवत 2028 से पूर्व के साबिक खसरा नंबर 16 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा, 17 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 18 रकबा 2 बीघा पर वादीगण के पिता स्व. अमरसिंह रा०का०अधि० संवत 2012 से पूर्व से ही गैर मौरोसी एवं भूदान यज्ञधारी दर्ज काबिल कृषक रहे हैं जिस पर राज०का०अधि० की धारा 15 व जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुआ है जिन्हें नामा० संख्या 84 के तहत खातेदार स्वीकृत किया गया है। तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता के नाम खातेदारी की प्रविष्टियां की गई हैं।

9. यह कि इंतकाल नंबर 84 वादीगण के पिता अमरसिंह जमाबंदी संवत 2014 से 2017 में खातेदारी के इन्द्राजात दर्ज किए गए थे लेकिन बाद के भूअभिलेख में राजस्व कर्मचारियों ने साबिक खसरा नंबर 16, 17, 18 में प्रति. संख्या 1 व 2 के पिता सेडू तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 8 के पिता व बाबा टीका के नाम अवैध रूप से शिकमी साल 3 के इन्द्राजात कर दिए गए जो कतई गलत व प्रारंभ से ही शून्य हैं। तथा इस तरह के शिकमी काश्तकार को कोई खातेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं होते है इस प्रकार उक्त सेडू व टीका के नाम की शिकमी साल 3 की प्रविष्टियां प्रारंभ से ही शून्य व निष्प्रभावी व काबिल निरस्ती है।

10. यह कि संवत 2028 का भूप्रबंध विभाग की कार्यवाही के दौरान बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के भूप्रबंधक विभाग द्वारा उक्त साबिक खसरा नंबर से निर्मित नए खसरा नंबर 20 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा तथा 21 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा संपूर्ण वाहिस्सा बराबर तथा खसरा नंबर 22 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा हिस्सा 137/150 पर उक्त सेडू व टीका के नाम खातेदारी की प्रविष्टियां दर्ज कर दी गई हैं जो वादीगण के खिलाफ बातिल व बेअसर हैं। वादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नंबरान पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं तथा तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 से 16 के पिता उमराव के नाम की प्रविष्टियां बदस्तूर रहे तथा प्रतिवादीगण अराल के नाम हो रहे वर्तमान इन्द्राजात काबिल कलमजन के हैं।

11. यह है कि विवादित आराजी वाके मांझी पर प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर अपने आप को खातेदार मानते हुए व वादीगण की खातेदारी से इंकार करते हुए दिनांक 08.09.12 को वादीगण को धमकी दी कि वे वादीगण को काश्त नहीं करने देंगे एवं आराजी को रहनवयमुन्तकिल कर देंगे। उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद न हो सकेगी अतः वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय की जारी कराने के अधिकारी हैं कि विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल न करें तथा रहनवयमुन्तकिल न करें।

12. यह है कि प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 ... ऑथोरिटी तथा रहन होने के कारण पक्षकार ... बनाया ... है तथा आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मुतानाजा में हिस्सेदार होने से तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 से 16 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है उनसे दीगर दादरसी नहीं चाही गई है।

13. अंत में प्रार्थना की कि वादपत्र की मद संख्या 2 की आराजी वाके मांझी तहसील नदबई पर मुताबिक वादपत्र वादीगण को बाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वर्तमान इन्द्राजात प्रतिवादीगण काबिल कलमजन के हैं। तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 16 के पिता व बाबा के नाम हो रहे वर्तमान इन्द्राजात बदस्तूर कायम रहें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 एवं प्रतिवादी स. 8 लगायत 15 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। जबाव दावा संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि मद संख्या 2 वादपत्र में हाल खसरा नंबर 298, 299 किता 2 रकबा 0.70 हैक्टर वाके मांझी पर स्थित है। स्वीकार है। तथा संवत 2028 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त खसरा नंबर 161 से बने हैं। यह तथ्य हम प्रतिवादीगण को स्वीकार है। तथा साबिक खसरा नंबर 161 के पुराने नंबर 138 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा से बना है। इस संदर्भ में हम प्रतिवादीगण ने नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किया हैं। हम प्रतिवादीगण की हाल खसरा नंबर 298, 299 पर खातेदारी अंकित हो रही है वह वैधानिक है। वादपत्र की मद संख्या 3 हम प्रतिवादीगण को स्वीकार नहीं है। साबिक नंबर 138 हम प्रतिवादीगण ने जरिए रजि. विक्रयपत्र तारीख 19.06.67 से कीमतन खरीद किया है तथा वक्त विक्रयपत्र उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार अमरसिंह पुत्र नंदन कौम ब्राह्मण साकिन मांझी काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे। तथा विक्रयपत्र की तिथि 19.06.67 को हम प्रतिवादीगण को कब्जा भी संभला दिया है तथा रिकॉर्ड में हम प्रतिवादीगण की खातेदारी अंकित हो रही है। तथा तभी से हम प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे हैं ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त विक्रयपत्र तारीख 19.06.67 को सिविल न्यायालय से कैंसिल व वॉइड घोषित नहीं करा पा लेते हैं तब तक वादीगण इस न्यायालय से किसी प्रकार की कोई रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि उक्त विक्रयपत्र वॉइड की परिधि में नहीं आता है इसलिए वादीगण का वादपत्र काबिल खारिजी के है।

प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 15 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह है कि वादपत्र की मद संख्या 2 आंशिक स्वीकार है। भूप्रबंध विभाग द्वारा गत नंबरों से नए नंबर बनाए गए जो सही हैं, शेष कथन अस्वीकार है। वादीगण का इस आराजी [illegible] प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। विवादित [illegible] प्रतिवादी [illegible] के पूर्वज सेदू व टीका संवत 2012 से पूर्व [illegible] है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

इन्हें धारा 19 (1)ए राज0काश्त0 अधि0 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं जिन्हें हम प्रतिवादीगण ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। विवादित आराजी पर वादीगण का कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है। अतः दावा काबिल खारिजी के है।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर वादपत्र में निम्नांकित तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है व वर्तमान इन्द्राजात कलमजन हैं। — जिम्मेवादीगण

2. आया प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वे वादीगण को बेदखल न करें, मदाखलत मजाहमत न करें। — जिम्मेवादीगण

3. आया प्रतिवादीगण पूर्वजों के समय से ही काबिज है अतः धारा 19(1)ए के अनुसार खातेदार है अतः दावा काबिल खारिजी के है। — जिम्मेप्रतिवादीगण

4. आया प्रतिवादीगण का कोई कब्जाकाश्त नहीं है अतः दावा काबिल खारिजी के है। — जिम्मेप्रतिवादीगण

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 वाके ग्राम मांझी प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी संवत 2028 , नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संवत 2028 प्रदर्श 4, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी संवत 2014–17 प्रदर्श 6, नकल जमाबंदी संवत 2021–24 प्रदर्श 7, नकल जमाबंदी संवत 2021–24 प्रदर्श 8, नकल नामा0 संख्या 84 वाके ग्राम मांझी प्रदर्श 9 पेश किए गए एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में कृष्णगोपाल पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी, लालचंद पुत्र चंद्रभान जाति ब्राह्मण निवासी हसनपुर गादौली पेश किए गए जिनसे जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबध विभाग 2001–2021 वाके मांझी प्रदर्श डी 1, नकल भूप्रबंध विभाग पर्चा खतौनी संवत 2022 प्रदर्श डी 2, नकल जमाबंदी संवत 2018–21 प्रदर्श डी 3, नकल भूप्रबंध विभाग पर्चा खतौनी प्रदर्श डी 4, नकल जमाबंदी संवत 2018–21 प्रदर्श डी 5, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 प्रदर्श डी 6, नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श डी 7, नकल बयनामा फोटोप्रति दिनांक 19.06.67 प्रदर्श डी 7 पेश किए गए एवं मौखिक बयान में राधाकिशन पुत्र सेडू[illegible] मांझी, वीरीसिंह पुत्र बदनसिंह जाति गडरिया निवासी मांझी, य[illegible]म [illegible] वत्तो जाति गडरिया मांझी, किशनसिंह पुत्र कमलसिंह जाति गडरिया [illegible]सी मांझी, खूबीराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

रोशन जाति जाट निवासी मांझी पेश किए गए जिनसे जिरह वकील वादी द्वारा की गई।

हमने वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। वादी अधिवक्ता के बहस के दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन रहे कि विवादित आराजी में संवत 2028 से पूर्व वादीगण के पिता अमरसिंह के नाम थी तथा संवत 2012 से पूर्व से ही गैर मौरोसी व भूदान होल्डर दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त आराजी पर आरटीए की धारा 15 व जगींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट की धारा 30 के तहत वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए। इंतकाल संख्या 84 द्वारा वादीगण के पिता अमरसिंह को जमाबंदी संवत 2014–17 में खातेदारी इन्द्राजात आयुक्त महोदय, अजमेर से दिनांक 15.04.60 को प्रदान किए गए जो प्रदर्श 9 से साबित है। जमाबंदी संवत 2014--17 में वादीगण के पिता अमरसिंह को खातेदारी अधिकार दिए गए जो प्रदर्श 6 से साबित है। परन्तु इसके पश्चात् राजस्व कार्मिकों द्वारा संवत 2021--24 में शिकमी साल 3 प्रतिवादीगण के पिता सेडू व अन्य प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के पिता टीका के नाम दर्ज कर दी गई जो प्रदर्श 7 व 8 से साबित है। ये प्रविष्टियां शुरू से ही शून्य हैं। संवत 2012 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम अनुसार ही शिकमी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। संवत 2028 के सैटलमेंट ने खसरा नंबर 20, 21, 22 में सेडू व टीका के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। सैटलमेंट को खातेदारी बदलने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादीगण द्वारा गवाह बयान डीडब्लू 1 व 2 में भी इन्होंने खसरा नंबर 298, 299 में गवाही दी है। अतः मेरे द्वारा साबिक रिकॉर्ड से सिद्ध है इस संबंध वादी अधिवक्ता द्वारा नजीर आरआरटी (1) पेज नंबर 151 गीगाराम व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं आरआरटी 2008 के पेज नंबर 154, आरआरटी 2008(1) के पेज नंबर 154 रावता बनाम मोहमभद रफीक वगै., आरआरडर 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रतीराम वगै., आरआरटी 2017(1) पेज 664 बोर्ड आफॅ रेवेन्यू मु. काजोड़ बनाम भगवाना वगै. पेश है। उक्त नजीर उक्त वाद पत्र पर चस्पा होती है अत मुताबिक प्रार्थना अनुसार दावा डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन ... कि वादीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के संबंध में शुरू में 6 खसरा ... पर दावा पेश किया गया। इन चार खसरा नंबरों के अलावा खसरा नंबर 298व 299 और भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नंबर थे जो दिनांक 04.08.15 में इन दो का वाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के खिलाफ वापस कर लिया। वादीगण के पिता अमरसिंह ने खसरा नंबर 298, 299 का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पिता को कर रखा था जो कि प्रदर्श डी 7 से साबित है। वादीगण चाके ग्राम मांझी में नहीं रहते हैं एवं इनका निवासी खेरली में है। न तो विवादित आराजी पर इनका कब्जाकाश्त रहा है अगर वादीगण शिकमी संवत 2028 में धारा 19(1)ए के तहत खातेदार रहे हैं तो खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। मुझे 19(1)ए के अनुरूप खातेदारी मिली है। संवत 2020–30 में अगर कोई शिकमी है तो उसको भी खातेदारी अधिकार मिलेंगे। मुझे खातेदारी वैधानिक रूप से मिली है। बयानों में भी यह कथन रहे कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 का कब्जा था। इतने वर्षो पश्चात् बेवजह परेशान करने को लेकर इनके द्वारा दावा पेश किया है, मेरी खातेदारी अधिकार जो दिए गए हैं वो सही एवं विधिवत रूप से हैं। उक्त संबंध में नजीर आरटीए 1955 कि धारा 19 (1) कक पेज 61 से 65 व सीताराम बनाम मंगल 1965 आरआरडी पेज 63, नारायण बनाम गौरा 9165 आराआरडी पेज 349, धुली बनाम तुलसीराम 1985 आरआरडी पेज 284, प्रताप बनाम स्टेट आफ राज. 1990 आरआरडी पेज 277, धारा 19(1) के तहत प्रकरण श्रीमती वैजन्ती व अन्य बनाम भगवती वगै0 में 1993 आरआरडी 232 पृष्ठ संख्या 235 के अनुसार दिसंबर 1969 से लगातार बतौर सब टिनेन्ट काबिज होने से वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का मुश्तहक है। तथा नाथू बनाम चन्दा एवं अन्य, 1993 आरआडी 200 पृष्ठ संख्या 201, 202 के अनुसार भू–अभिलेख अधिकारी जहां पर इन्द्राज के मामले में विवाद हो कब्जे के आधार पर जांच कर इन्द्राज कर सकते हैं। उक्त नजीरों के आधार पर दावा वादीगण काबिल खारिजी के है।

हमने उभयपक्षकार के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने [illegible] वर्तमान इन्द्राजात कलमजन हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी संवत 2068–[illegible] चाके मांझी प्रदर्श 1 पर विवादित आराजी खसरा नंबर 28 रकबा 0.53 व 29 रकबा 0.43 कुल रकबा 0.96 हैक्ट पर खातेदारी सेडू पुत्र रामचंद, टीका पुत्र बदले

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कौम गडरिया साकिन देह खातेदार व खसरा नंबर 20 रकबा 17 बिस्वा, 21 रकबा 5 बिस्वा भूदान होल्डर व खसरा नंबर 20 रकबा 1.05 व खसरा नंबर 21 रकबा 1.10 बीघा खातेदारी का अंकन है तथा खसरा नंबर 31 व 32 पर भी सेडू पुत्र रामचंद्र, टीका पुत्र बदले कौम गडरिया साकिन देह हिस्सा 137/150, उमराव पुत्र कंचन कौम ब्राह्मण हिस्सा 13/150 साकिन देह खातेदार, 1 बीघा 6 बिस्वा भूदान होल्डर, 3 बीघा 10 बिस्वा भूदान होल्डर की खातेदारी अंकित हो रही है। उक्त विवादित आराजी के संवत 2028 भूप्रबंध विभाग द्वारा साबिक खसरा नंबर 20 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व 21 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व 22 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा से निर्मित किए गए हैं जिसके संवत 2028 से पूर्व के साबिक खसरा नंबर 16, 17, 18 है जो प्रदर्श 2 व 5 से साबित है। नकल जमाबंदी संवत 2018–21 वाके मांझी प्रदर्श 3 पर प्रतिवादी के पिता सेडू व टीका कौम गडरिया हिस्सा 137/150 व उमराव पुत्र कंचन कौम ब्राह्मण हिस्सा 13/150 खातेदारी खसरा नंबर 22 पर अंकित हो रही है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2028 में खसरा नंबर 20, 21 पर सेडू व टीका जाति गडरिया हिस्सा बराबर साकिन देह खातेदारी का अंकन है जो प्रदर्श 4 से साबित है। नकल जमाबंदी संवत 2014–17 में खसरा नंबर 16, 17 पर अमरसिंह वल्द नंदन कौम ब्राह्मण साकिन देह खातेदार तथा खसरा नंबर 16 का एक टुकडा 13 बिस्वा उमराव पुत्र कंचन जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जो प्रदर्श 6 से साबित है। तथा वादी द्वारा प्रस्तुत नकल नामा0 संख्या 84 पेश की गई जिसमें दाखिला खारिज के तहत आयुक्त महोदय, अजमेर दिनांक 15.04.60 से खसरा नंबर 16, 17 द्वारा अमरसिंह वल्द नंदन कौम ब्राह्मण साकिन देह गैर मौरोसी दर्ज रिकॉर्ड की गई एवं नकल जमाबंदी संवत 2021–24 प्रदर्श 7 में खसरा नंबर 16, 17 पर अमरसिंह वल्द नंदन साकिन देह शिकमी काश्त व सेडू व टीका वाहिस्सा बराबर कौम गडरिया साकिन देह शिकमी साल 3 दर्ज रिकॉर्ड का अंकन है जो प्रदर्श 7 व 8 से साबित है। इस प्रकार विवादित आराजी पर वादीगण के पिता अमरसिंह व प्रतिवादी के पिता सेडू व टीका के नाम शिकमी साल 3 काश्त एवं भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर के नाम खातेदारी अंकित हो रही हैं इस प्रकार उक्त आराजी जमाबंदी संवत 2014 व 2017 के अनुसार अमरसिंह वल्द नंदन जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं खसरा नंबर 16 का एक टुकडा उमराव वल्द कंचन जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज है। तथा दाखिला खारिज संख्या 84 के अनुसार उक्त आराजी आयुक्त महोदय, अजमेर के आदेशानुसार अमरसिंह वल्द नंदन को प्राप्त होना स्पष्ट है तथा नकल जमाबंदी संवत 2014 से 2017 के कॉलम नंबर [illegible] भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं जमाबंदी संवत 2021 से [illegible] में भी अमरसिंह वल्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

3/3/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

नंदन व काश्त सेडू व टीका की काश्त शिकमी साल 3 दर्ज की गई है एवं जमाबंदी संवत 2018 से 21 में खसरा नंबर 17, 18 में सेडू व टीका कौम गडरिया शिकमी साल 3 दर्ज है। उपरोक्त रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी भूदान यज्ञ बोर्ड की आराजी है जिस पर अमरसिंह वल्द नंदन की खातेदारी व काश्त प्रतिवादी के पिता सेडू व टीका की रही है। वादीगण के पिता अमरसिंह द्वारा खसरा नंबर 298, 299 का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पिता को जरिए रजि0 बयनामा किया गया जो कि प्रदर्श डी 7 से साबित है। उक्त तनकी के संबंध में प्रतिवादी द्वारा नकल मिलान क्षेत्रफल वर्ष 2001 से 2022 पेश की गई जिसमें गत एवं हाल खसरा नंबरान का मिलान हो रहा है तथा नकल भूप्रबंध विभाग पर्चा खतौनी पेश की गई जिसमें खसरा नंबर 22 पर प्रतिवादी के पिता सेडू व टीका कौम गडरिया हिस्सा 137/150 व उमराव पुत्र कंचन कौम ब्राह्मण खातेदार का अंकन है। नकल जमाबंदी संवत 2018 से 21 में खसरा नंबर 17, 18 से प्रतिवादीगण के पिता सेडू व टीका वाहिस्सा बराबर कौम गडरिया साकिन देह शिकमी साल 3 दर्ज है तथा जमाबंदी संवत 2018–21 प्रदर्श डी 5 पर खसरा नंबर 16 पर भूदान यज्ञ बोर्ड की आराजी है। जिस पर अमरसिंह वल्द नंदन की खातेदारी व काश्त सेडू व टीका का मालिक व काश्त का संबध रहा है। तथा शिकमी जोतदार होने के कारण आरटीए की धारा 19(1)क क का संशोधन अधिनियम दिनांक 29.12.69 व 1979 के प्रभाव में आने के समय प्रतिवादी के पिता सेडू व टीका शिकमी काश्त दर्ज रिकॉर्ड साबित है। इसलिए प्रतिवादीगण के पिता को धारा 19(1)9 के तहत आरटीए 1955 की धारा 19(1)ए के तहत खातेदारी दर्ज की गई है उसके अनुसार शिकमी जोतधारक व लगातार काश्त होने के कारण खातेदारी प्रतिवादी के नाम दी गई है। जो कि विधि एवं नियम अनुसार दी गई है तथा वादी के बयान में भी यह बताया है कि वादी के कब्जेकाश्त में आराजी नहीं रही है और न ही मौके पर कब्जाकाश्त है। उक्त आराजी प्रतिवादीगण की कब्जाकाश्त में लम्बे समय से चली आ रही है अतः उपरोक्त विवेचन से साबित है कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता के नाम पूर्व से ही कब्जेकाश्त एवं खातेदारी में सही अंकन चली आ रही है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें भी उक्त तनकी का प्रतिवादीगण के हक में समर्थन करती हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

2. आया प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वे वादीगण को बेदखल न करें, मदाखलत मजाहमत न करें। उक्त तनकी को सिद्ध क[illegible] का था। विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण के पूर्वजों [illegible] दर्ज रिकॉर्ड रही है एवं कब्जाकाश्त भी प्रतिवा[illegible] का है एवं [illegible] संख्या 1 के विवेचन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने का अधिकारी नहीं है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के हक़ में तय की जाती है।

3. आया प्रतिवादीगण पूर्वजों के समय से ही काबिज है अतः धारा 19(1)ए के अनुसार खातेदार है अतः दावा काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। तनकी संख्या 1 के विवेचन में उक्त तनकी के तथ्यों को सिद्ध किया जा चुका है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी पर पूर्वजों के समय से ही काबिज है एंव प्रतिवादीगण धारा 19(1)ए के अनुसार खातेदार है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें भी उक्त तनकी के समर्थन में दावा पर चस्पा होती हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

4. आया प्रतिवादीगण का कोई कब्जाकाश्त नहीं है अतः दावा काबिल खारिज़ी के है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड अनुसार विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त न होकर प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त में रही है। वादीगण के मौखिक बयान में भी प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त होना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मांझी पर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त न होकर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज होने एवं कब्जाकाश्त होने से वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि वादीगण का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

3/7/25

गंगाधर मीना (R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

नदबई भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner